एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 02, अंक: 03 (मई-जून, 2022)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फॉर्मर राइट्स एक्ट (PPVFRA)

(*रवि कुमावत[1], नीतेश कुमार तंवर[1], सरला कुमावत[2] एवं गोवर्धन प्रजापत[1])
[1]महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
[2]जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश
* ravikumawat211@gmail.com

प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फॉर्मर राइट्स एक्ट भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम वर्ष 2001 में कृषकों और प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा हेतु पारित किया गया । इस एक्ट को 1978 के अंतर्राष्ट्रीय नवीन पादप प्रकार संरक्षण संघ (International Union for the Protection of New Varieties of Plants – UPOV) के प्रावधानों के अनूसार बनाया गया। जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक, पादप प्रजाति निर्माताओं और किसानों दोनों के योगदान को मान्यता दी गई। साथ ही यह TRIPS समझोता (Agreement on Trade &Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1995) के प्रावधानो को भी लागु किया गया ताकि सभी हितधारकों के विशिष्ट सामाजिक–आर्थिक हितों का संरक्षण हो सके।

PPVFRA एक्ट के विशेषताये :

- यह एक्ट हितधारकों में निजी, सार्वजनिक प्रक्षेत्र के साथ शोध संस्थानों के वैज्ञानिक एव सीमांत किसान को भी शामिल करता हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है।
- इस अधिनियम के जरिये पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण,नई दिल्ली वर्ष 2005 मे अस्तित्व में आयां
- यह प्राधिकरण इस मायने में सबसे अलग है कि यह किसानों को उनके अधिकार प्रदान करता है जिसका प्रावधान विश्व के अन्य किसी देश द्वारा नहीं किया गया है।
- अधिनियम द्वारा कृषक को बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा प्रदान की जाती है।

PPVFRA द्वारा पदत अधिकार:

(क) प्रजनक अधिकार (Breeders Rights)

इस अधिकार को पादप किस्म अधिकार (Plant Variety Rights) के नाम से भी जाना जाता है जिसके अंतर्गत पादप प्रजनक को संरक्षित पादप प्रजाति को उत्पन्न करने, विपणन, वितरण करने एव आयात–निर्यात करने का एकाकी अधिकार प्रदान किया गया है साथ ही प्रजनक को अन्य एजेंट अथवा लाइसेंसी नियुक्त कर आर्थिक लाभ अर्जन करने का भी अधिकार प्रदान किया गया हैं।

(ख) शोधकर्ताओं के अधिकार (Researchers Rights)

इस अधिकार के अंतर्गत पादप शोधकता, वैज्ञानिक पंजीकृत प्रजाति किस्मो का प्रयोग अनुसंधान एव उन्नत किस्म के निर्माण हेतु कर सकते हैं। साथ ही शोधकर्ताओ द्वारा नई किस्म के निर्माण हेतु प्राथमिक किस्म (Initial Variety) को प्रारम्भीक स्रोत के रूप मे प्रयोग किया जा सकता है। परन्तु उस प्रजाति का बारम्बार प्रयोग करने के लिए पंजीकृत प्रजननकर्ता से पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

(ग) कृषक अधिकार (Farmers Rights)

किसानो को इस अधिकार के अंतर्गत स्वय द्वारा उत्पादित नई प्रजाति, किस्म का पंजीकरण करने का अधिकार प्रदान किया गया जिससे वह भी प्रजाति निर्माता कम्पनियों, वैज्ञानिको की भाँति संरक्षण प्राप्त कर सकता है। साथ ही किसानो को पंजीकृत किस्मों के बीजो को अगले वर्ष बुवाई हेतु बचाकर रखने, विनियम करने (ब्रांडेड बीज को छोड़कर) का भी अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत किसानो को आर्थिक महत्त्व वाली फसलों के आनुवंशिक संसाधनों यथा वन्य प्रकारों आदि का संरक्षण करने पर समुचित पुरस्कार एव क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है।

निष्कर्ष :

गुणवत्ता युकत बीज अधिक उपज का घोतक है अत: प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फॉर्मर राइट्स एक्ट (PPVFRA) को पौधों की किस्मों, कृषकों और प्रजनकों के अधिकारो की सुरक्षा एव पौधों की नई किस्म के विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ विशेषतः भारतवर्ष के किसानो की परिस्थितियो को मध्यनजर रखते हुए बनाया गया है जिससे पौधों की नई उन्नत किस्मों के निर्माण के साथ साथ सार्वजनिक एव निजी क्षेत्र, दोनों में अनुसन्धान और विकास के लिये निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। गुणवत्ता युकत बीज अधिक उपज का घोतक है।